



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052026-272563
CG-DL-E-14052026-272563

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2362]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2362]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2454(अ).— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 192(अ) तारीख 06.03.1990, का.आ. 1775(अ) तारीख 17.10.2006 और का.आ. 2571 (अ) तारीख 30.09.2014 और का.आ.3731(अ) तारीख 17.10.2019 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या लोप किया गया है, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त संहिता की धारा 51 की उप-धारा (6) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उनके सामने स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए केंद्र सरकार समुचित सरकार है, के लिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता नियुक्त करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र.सं. (1)	अधिकारी (2)	अधिकार-क्षेत्र (3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय), मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली	संपूर्ण भारत।
2.	अहमदाबाद क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	गुजरात राज्य और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र।
3.	अजमेर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	राजस्थान राज्य।
4.	आसनसोल क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	पश्चिम बंगाल राज्य के वर्धमान-पूर्व, वर्धमान-पश्चिम, बीरभूम, बांकुड़ा और पुरुलिया के सिविल जिले।
5.	बेंगलुरु क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	कर्नाटक राज्य।
6.	भुवनेश्वर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	ओडिशा राज्य।
7.	चंडीगढ़ क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्य और जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
8.	चेन्नई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र (यनम और माहे जिले के सिवाय)।
9.	सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी कोचीन क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का माहे जिला।
10.	देहरादून क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के सिविल जिले- सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल बदायूं, रामपुर, बागपत, हापुड़, शामली और गौतम बुद्ध नगर।
11.	धनबाद क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	झारखण्ड राज्य के निम्नलिखित जिले-धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, खूंटी, देवगढ़, सरायकेला (खरसावां) और जामताड़ा जिले।

12.	गुवाहाटी क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।
13.	हैदराबाद क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य तथा पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम जिला।
14.	जबलपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	मध्य प्रदेश राज्य।
15.	कानपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	उत्तर प्रदेश राज्य [सहारनपुर, बिजनोर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बदायूँ, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, रामपुर, बागपत, हापुड, शामली और गौतम बुद्ध नगर के सिविल जिलों को छोड़कर]।
16.	कोलकाता क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	पश्चिम बंगाल राज्य (बर्धमान-पूर्व, बर्धमान-पश्चिम, बीरभूम, बांकुडा और पुरुलिया के सिविल जिलों को छोड़कर), सिक्किम राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
17.	मुंबई क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	महाराष्ट्र राज्य (नागपुर, भंडारा, अकोला, बीड, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, नांदेड़, गढ़चिरौली, परभणी, लातूर, यवतमाल, धाराशिव, हिंगोली, गोंदिया और वाशिम जिलों, तथा उपरोक्त जिलों को छोड़कर) और गोवा राज्य।
18.	नागपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, बीड, नांदेड़, गढ़चिरौली, परभणी, लातूर, यवतमाल, धाराशिव, गोंदिया, वाशिम और हिंगोली जिले।
19.	सभी सहायक श्रम आयुक्त दिल्ली क्षेत्र के सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
20.	पटना क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के सिविल जिले- गढ़वा, लातेहार, साहिबगंज, पाकुर, दुमका, पलामू और गोड्डा।
21.	रायपुर क्षेत्र के सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	छत्तीसगढ़ राज्य।

[फा. सं. पी-11011/05/2026-डब्ल्यूसी]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2454(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019), and in supersession of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment number S.O. No. 192(E) dated 06.3.1990, 1775(E) dated 17.10.2006, 2571 (E) dated 30.9.2014 and 3731(E) dated 17.10.2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table below to be the **Inspector-cum-Facilitators** to exercise the powers conferred on them under sub-section (6) of section 51 of the said Code, in respect of the establishments in relation to which the Central Government is the appropriate Government, situated in the area specified against them in column (3) thereof, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Officers (2)	Jurisdiction (3)
1.	The Chief Labour Commissioner (Central), Additional Chief Labour Commissioners (Central), All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central), office of Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi	The whole of India.
2.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Ahmedabad Region	The State of Gujarat and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Ajmer Region	The State of Rajasthan.
4.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Asansol Region	The civil districts of Bardhaman-East, Bardhaman-West, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal.
5.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Bengaluru Region	The State of Karnataka.
6.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Bhubaneswar Region	The State of Odisha.
7.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Chandigarh Region	The States of Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and Chandigarh.
8.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Chennai Region	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry (except Yanam and Mahe districts).
9.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Cochin Region	The State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep and Mahe district in the Union territory of Puducherry.
10.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Dehradun Region	The State of Uttarakhand and civil districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahr, Bareilly, Muzaffarnagar, Moradabad, Amroha, Pilibhit, Shahjahanpur, Sambhal, Badaun, Rampur, Baghpat, Hapur, Shamli and Gautam Buddha Nagar in the State of Uttar Pradesh.
11.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Dhanbad Region	The following districts of the State of Jharkhand-Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Koderma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Ramgarh, Khunti, Deogarh, Saraikela (Kharsawan) and Jamtara.

12.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Guwahati Region	The States of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.
13.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Hyderabad Region	The States of Andhra Pradesh and Telangana and the area of Yanam district in the Union territory of Puducherry.
14.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Jabalpur Region	The State of Madhya Pradesh.
15.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Kanpur Region	The State of Uttar Pradesh [except the civil districts of Saharanpur, Bijnor, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahr, Bareilly, Muzaffarnagar, Badaun, Moradabad, Amroha, Sambhal, Pilibhit, Shahjahanpur, Rampur, Baghpat, Hapur, Shamli and Gautam Buddha Nagar].
16.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Kolkata Region	The State of West Bengal (except the civil districts of Bardhaman-East, Bardhaman-West, Birbhum, Bankura and Purulia in the State of West Bengal), the State of Sikkim and the Union territory of Andaman and Nicobar Islands.
17.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Mumbai Region	The State of Maharashtra (except the civil districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Beed, Amaravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Nanded, Gadchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Dharashiv, Hingoli, Gondia and Washim) and the State of Goa.
18.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Nagpur Region	The civil districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Amaravati, Wardha Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Beed, Nanded, Gadchiroli, Parbhani, Latur, Yeotmal, Dharashiv, Gondia, Washim and Hingoli in the State of Maharashtra.
19.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Delhi Region	National Capital Territory of Delhi.
20.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Patna Region	The State of Bihar and the civil districts of Garhwa, Latehar, Sahibganj, Pakur, Dumka, Palamu and Godda in the State of Jharkhand.
21.	All Assistant Labour Commissioners (Central) and All Labour Enforcement Officers (Central) in Raipur Region	The State of Chhattisgarh.

[F. No. P-11011/05/2026-WC]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.